

FROM No.III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक क्लर्क एस.डी.० मुकाम... वायव्य

..... मानाराम बनाम गुलाराम वर्मा

किस्म मुकदमा... का क्र. 120 RURA नं. 28/17 सन्. 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>मानाराम जाधव</u> ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>120 RURA</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>13/12/17</u> को पेश हो।	
13/12/17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/जनों के नोटिस तामील काम तामील जमानत सीमान पीढारान अधिकारी कबकाश के पधारे हुए है। फल: मिशाल इलतवायेड/समाप्ती दिनांक <u>23/01/18</u> को पेश हो।	
03/01/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/जनों वाकजुड तामील अनुपस्थित। प्रार्थी वकील राजस्व आवेदन पर बहल माईना करना चाहते हैं। अवाहल दिना जाडर पत्रावली दिनांक <u>12/02/18</u> को पेश हो।	

सहायक क्लर्क (SDO)
वायव्य

12/02/18

प्रार्थी वडेल उपस्थित। विपरीतगण वावजुड
लागिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिकारता सी सु-
पत्रिय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिकारता ने
बलाभा सी प्रार्थी को अपने व्यावसायी घेतों के चारों
मोर् पत्रके नैयामस्थापित इलाका आवश्यु है।
इसलिए प्रार्थी का नैयामबन्दी आवेदन स्वीकार किया
जाउर नैयामबन्दी मोरेशा किया जावे। अतः प्रार्थी
का नैयामबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाउर तदसीलाह
वापसु को कुमिशनर नियुक्त किया जाला है। व
मोरेवा दिया जाला है कि आयु स्वम या अपने
अधिकारता किली नी भू अमिलेय निरिहउ ले प्रार्थी
के व्यावसायी घेतों सी पत्रकी नैयामबन्दी मोरेशा वर
शुल्क जमा कराउर इरे पालना रिपोर्ट प्राप्त होने
पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली फेरल सुमार
है, दर्ज नम्बर से उम है, दाखिल दफ्त है।



सहायक कमिश्नर (SDO)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/ 98

दिनांक:- 14.2.18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

- मानाराम पुत्र दयाराम जाति सुथार निवासी अखे का धड़ा, नया सोमेश्वर तह. बायतु जिला बाड़मेर

- गुलाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 13 निवासी अखे का धड़ा, नया सोमेश्वर तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 281/17

आदेश

मौजा अखे का धड़ा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 204, 427/206, 428/206 रकबा कमशः 00.14, 12.10, 76.15 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/ 99-103
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कोडर (SDC),
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 14.2.18

- तहसीलदार बायतु।
- पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- प्रार्थीगण श्री मानाराम पुत्र दयाराम ।
- विप्रार्थीगण श्री गुलाराम पुत्र चुतराराम वगैरा 13।
- थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कोडर (SDC),
उपखण्ड अधिकारी बायतु
बायतु